राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 101/2018

दायर दिनांक–20.08.2018

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. कुनणाराम पुत्र गोदू उर्फ गोदूराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

——वादी

बनाम

1. सुगनाराम पुत्र गोदु उर्फ गोदुराम जाति जाट निवासी पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान
2. बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा रूपनगढ जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान

——प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 8.6.2022

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 सुगनाराम पुत्र गोधु उर्फ गोदुराम दोनों सगे भाई हैं जिनके संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की पेतृक कृषि आराजी ग्राम पनेर तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में निम्न खसरा नम्बरान की आराजी स्थित है–खाता संख्या नया 67 पुराना 57 खसरा नम्बर 174/1 रकबा 19–06–00 बीघा, खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 55 रकबा 15–05–00 बीघा ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ के खाता संख्या नया 23 पुराना 13 खसरा नम्बर 2/1 रकबा 10–00–00 बीघा स्थित है। उक्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हिस्सा निहित है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने–अपने हिस्से की आराजी में काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा छोटा भाई है तथा वाद अधीन आराजी का रिकॉर्ड में बंटवारा किया हुआ नही है किन्तु मौके पर दोनों भाईयों द्वारा अलग–अलग काश्त करने हेतु बांट रखी है तथा वाद पत्र में वर्णित ग्राम पनेर की आराजी के चार हिस्से हो रखे है जिसमें खसरा नम्बर 174/1 में पश्चिम दिशा में उतर की तरफ वादी का हिस्सा है तथा पूर्व दिशा में दक्षिण की तरफ वादी का हिस्सा मौके पर बांट रखा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का पश्चिम दिशा में दक्षिण की ओर तथा पूर्व दिशा में उतर की ओर हिस्सा आया हुआ है अर्थात दोनों भाइयों के पास दो–दो टुकड़े बटे हुए है। खाता संख्या नया 41 पुराना 39 खसरा नम्बर 55 रकबा 15–05–00 बीघा की आराजी में उतर से दक्षिण की ओर दो हिस्से हो रखे है। पूर्व का हिस्सा वादी के पास है और पश्चिम दिशा का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में आया हुआ है। ग्राम दरडून्द तहसील रूपनगढ के खाता संख्या नया 23 पुराना 13 खसरा नम्बर 2/1 रकबा 10–00–00 बीघा आराजी के भी 4 हिस्से हो रखे है। इस आराजी के पश्चिमी उतरी कोने पर वादी का हिस्सा है तथा इसी प्रकार पूर्वी दक्षिणी कोने पर वादी का हिस्सा तथा उतरी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा तथा दक्षिणी कोने पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा आया हुआ है। उसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 की नियत मे फर्क आया हुआ है। वह आये दिन वादी को वाद अधीन आराजी के अपने हिस्से मे अर्थात् 1/2 हिस्से मे प्रत्येक आराजी मे काश्त करने मे दिनांक–30.05.2018 को जब खेत बुवाई करने लगे तब ही झगड़ा फसाद कर लिया किन्तु वादी ने भाई होने के नाते किसी तरह का कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नही करवाया। वादी द्वारा ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 174/1 मे अपने हिस्से अनुसार फसल काश्त कर ली किन्तु ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 55 एवं ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 2/1 मे फसल काश्त नही करने दी गई जबकि प्रत्येक आराजी मे वादी का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। इसके बाद प्रतिवादी संख्या 1 वाद अधीन आराजी ग्राम पनेर के खसरा नम्बर 55 एवं ग्राम दरडून्द के खसरा नम्बर 2/1 की संपूर्ण आराजी मे अपने जानवर चरा रहा है। वादी के द्वारा इन्कार करने पर झगड़ा फसाद करने को उतारु हो जाता है। ऐसी परिस्थिति मे वादी द्वारा उक्त आराजी का झगड़ा फसाद करने के बजाय अच्छी मे से अच्छी और बुरी मे से बुरी आराजी का बंटवारा कर, नाप–चोक कर नया खाता, खसरा नम्बर कायम कर, लगान का बंटवारा कर एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री से पाबंद करावे कि वह वादी के हिस्से मे बंटवारे के बाद आयी आराजी मे किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करे, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नही करे, वादी के उपयोग व उपभोग मे प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिजन, नौकर चाकर आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से मूल्य में संभव नही हो सकेगी तथा वाद बाहुल्य बढेगा।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

परिस्थिति में वादी द्वारा उक्त वाद वास्ते बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु करना आवश्यक हुआ। वाद आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में रहन रखकर लोन लिया है इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुए। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री गौरीशंकर बियाणी ने जवाब प्रस्तुत किया। उभयपक्ष के अधिवक्तागण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि बंटवारा किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नही है। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रुपनगढ से दिनांक–11.02.2020 को कमिश्नरी रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.10.2021 को ग्राम दरडूण्द की कृषि भूमि में रास्ता नहीं रखने बाबत् आपत्ति संबंधी प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार रुपनगढ़ को मौका रिपोर्ट रास्ते दर्शाते हुए तैयार करने हेतु लिखा गया। उक्त पत्र की पालना में तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पुनः कमीश्नरी रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। तदनुसार प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जाकर रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

<u>ग्राम–दरडुन्द</u>

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा (है0)	किस्म
1	कुनणाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0 पंनेर खातेदार	329/2/2 329/2/4	0.3975 0.3975	बा0 3 बा0 3
		कुल किता 2	0.7950	
2	सुगनाराम पुत्र गोदूराम जाति जाट सा0 पनेर खातेदार राहिन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ	329/2/3 329/2/1	0.3975 0.3975	बा0 3 बा0 3
		कुल किता 2	0.7950	
3	कुनणाराम पुत्र गोदूराम हि0 1/2 व सुगनाराम पुत्र गोदूराम हि0 1/2 जाति जाट सा0 पनेर खातेदार राहिन सुगनाराम का हिस्सा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रुपनगढ	329/2/5	0.0280	बा0 3

तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग होगा। प्रतिवादी संख्या 01 व उसके परिजन, नौकर चाकर को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हिस्से में बंटवारे के बाद आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे, किसी प्रकार का झगड़ा फसाद नहीं करे, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)